

## जवाहर नवोदय विद्यालय, नवसारी, ता. जी.-अमरावती (महा.) ४४४६०४ JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, NAVSARI, Tq. DIST.- AMRAVATI (M.S.) 444604

नियम एवं शर्ते Terms & Conditions

संलंग्न सूची के अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालय, नवसारी, अमरावती द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए वाहन/ गाड़ी किराये पर लेने हेतु इच्छुक पार्टियों से मुहरबंद निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदा सीलबंद होनी चाहिए एवं विद्यालय के कार्यालय मे दिनांक 28.12.2019 तक शाम 5.00 बजे तक जमा करनी होगी। निविदा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों मे "किराये पर वाहन के लिये निविदा" लिखा होना चाहिए।

Jawahar Navodaya Vidyalaya, Amravati is invited sealed tender for Hiring of Vehicle for the year 2019-20. Sealed Tender should be deposited to the Vidyalaya up to 28.12.2019 up to 5.00 pm. On the top of envelop should be written clearly "Tender for Hiring of Vehicle".

निविदादाता द्वारा दो अलग अलग लिफाफे (तकनिकी निविदा एवं वित्तीय निविदा) मे निविदा भरनी होगी। (i) पहले लिफाफे मे नियम एवं शर्ते, अमानत राशी का डिमांड ड्राफ्ट , आधार कार्ड, पैन कार्ड, वाहन का पंजीयन प्रमाणपत्र, परवाना, प्रदुषण प्रमाणपत्र, वाहन का बिमा पत्र , चालक का लाइसेंस आदि होना जरुरी है जिसके ऊपर तकनिकी निविदा लिखना आवश्यक है। (ii) तथा दुसरे लिफाफे मे दरों / भावो की सूची होनी चाहिए जिसके ऊपर वित्तीय निविदा लिखना आवश्यक है। दोनों लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों मे "किरायेपर वाहन के लिये निविदा" लिखा होना चाहिए। दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे मे सीलबंद करके उसके उपर स्पष्ट अक्षरों मे "किरायेपर वाहन के लिये निविदा" लिखा होना चाहिए। निविदा के नियम एवं शर्त निम्नान्सार है।

Bidders should submit two different envelopes (i.e. Technical Bid and Financial Bid). (I) In the 1<sup>st</sup> envelop the documents which require i.e. Terms and conditions, Demand Draft, Adhar Card, PAN Card, Registration certificate, Permit, Pollution Certificate, Vehicle Insurance, License of Driver etc. is called the Technical Bid (II) In the second envelope should submit the Rate List which is called financial bid. Both the envelop must kept in a big envelop and sealed and on the top of the envelope should be written in block letters "Tender for Vehicle Hiring".

1) वाहन का माडल वर्ष जनवरी 2017 या इसके बाद का होना चाहिये तथा चालक के साथ वाहन उपलब्ध करवाना होगा। वाहन में 04 व्यक्तियों को आरामदायक बैठने एवं बीमार छात्रों को ले जाने के लिए अतिरिक्त जगह हो इसके अलावा 10 क्विंटल लगेज वहन करने की क्षमता होनी चाहिए अथवा 09 व्यक्तियों को आरामदायक बैठने की क्षमता होनी चाहिए।

The vehicle Model should be of January 2017 or afterword along with driver, which can carry upto 4 persons having a comfortable seat for carrying a sick child in addition to adequate space to carry upto 10 quintals of load in proper efficient good running condition OR 09 seater comfortable seating capacity.

2) विद्यालय द्वारा दी गई सूची में ही दर/भाव लिखने होंगे एवं सभी करों सिहत रहेंगे । दर/भाव के अलावा प्रति लीटर माइलेज भी लिखना होगा । वाहन का माइलेज कम से कम 12/13 की.मी. प्रति लीटर या इससे अधिक होना चाहिए । विद्यालय द्वारा वाहन में भरा गया इंधन किसी भी हालात में वापिस नहीं किया जायेगा । निविदा मे किसी भी प्रकार की काटछाट नहीं होनी चाहिये। निविदा साफ स्थरे अक्षरों एवं अंको मे होनी चाहिये।

The rate should be quote in the list which is supplied by the Vidyalaya. Mileage of vehicle per liter must be quote along with the rate. The minimum mileage of the vehicle should be 12/13 km per liter

or above. The fuel filling by the Vidyalaya to the vehicle is not permissible to return to the vehicle owner. In the rate should be written in the rate list should be clean and clear. Any kind of omission or overwriting should not be accepted and the said tender will be rejected.

- 3) निविदा में दर्शीये गये अमानत राशी का डिमांड ड्राफ्ट प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय अमरावती के नाम से होना चाहिये। चेक एवं नगद राशी स्वीकार नहीं किये जायेंगे । बिना अमानत राशी वाली निविदा निरस्त की जायेगी । निविदा स्वीकृत होने पर सुरक्षा राशी के रूप में एक माह का वाहन किराया विद्यालय में जमा करना होगा । विद्यालय में जमा सुरक्षा राशी अनुबंध समाप्त होने के पश्चात् वापिस की जायेगी, इसके लिए किसी भी प्रकारका ब्याज विद्यालय द्वारा देय नहीं होगा । निविदा स्वीकृत होने पर, वाहन उपलब्ध नहीं करने की स्थिती में आपकी अमानत राशी/सुरक्षा राशी जप्त की जा सकती है तथा सामान्य वितीय नियम के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। The EMD amount shown in the tender should be in the name of Principal, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Amravati payable at Amravati through Demand Draft. Cash or cheque should not be accepted. The tender Liable to be rejected without demand draft of EMD amount. After approved of tender, bidder must deposit one month hiring charge as security deposite to the Vidyalaya in which will be adjusted with EMD which will be refunded after satisfactory completion of the contract. For this act, any type of interest shall not be payable by the Vidyalaya. After accepting the tender, the tenderer not able to supply the vehicle to the Vidyalaya, in this situation the Security Amount/EMD will be forfeited and can be processed according to the General Financial Rules.
- 4) विद्यालय द्वारा कम दर/भाव वाली निविदा स्वीकार की जाएगी। निविदा स्वीकृत होने पर, केन्द्र सरकार के सामान्य वितीय नियम के अनुसार बंधनकारक होंगे।

  The Lowest rate of tender should be accepted by the Vidyalaya. After approved of tender, will be binding with bidder according to the General Financial Rules of the Central Government.
- 5) वाहन चालक तथा उसके वेतन की व्यवस्था वाहन मालिक को करनी होगी। वाहन के लिए डीजल का व्यय माइलेज के आधार पर विद्यालय द्वारा किया जायेगा। टोल टैक्स एवं पार्किंग का व्यय बिल/रसीद प्रमाणित करने के पश्चात् विद्यालय द्वारा किया जायेगा। अनुबंधित वाहन अनुबंधन कालाविध के प्रत्येक दिवस 24 घंटे विद्यालय के अधिरक्षण में रहेगा। वाहन की आवश्यक मरम्मत हेतु विद्यालय के सक्षम अधिकारी की सहमती पर माह में एक दिवस अवकाश देय होगा। वाहन मरम्मत के लिए किसी भी प्रकारका व्यय विद्यालय द्वारा देय नहीं होगा। The arrangement of driver & his payment should be made by the Vehicle Owner. The Vidyalaya will bear only the cost of diesel for the distance actually plied for official use. Toll tax and parking charges will be paid by Vidyalaya after producing the certified bill/Receipt. During the contract period the vehicle should be park in the Vidyalaya campus of 24 hours. One day in a month shall be permitted for maintenance/servicing. Any type of repairing charges will not be paid by the Vidyalaya.
- 6) देय अवकाश के अतिरिक्त अनुबंधित वाहन की अनुपस्थित रहने पर वाहन मालिक द्वारा दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा जो अनुबंधित वाहन के समान हो अथवा बेहतर हो । वैकल्पिक वाहन उपलब्ध न कराने पर प्रतिदिन रूपये 600/- दंड अथवा प्रतिदिन वाहन का किराया जो विद्यालय द्वारा भुगतान किया जा रहा है, इनमे से जो राशी अधिक हो वह वाहन मालिक के भुगतान में से काटी जायेगी।

The vehicle shall not be sent for repairs for more than a day. Alternate vehicle shall be provided by the owner, in case of non-availability is more than a day. Failure to provide alternate vehicle shall

lead to recovery of actual hiring charges per day paid by the Vidyalaya for a substitute vehicle or Rs.600/- per day whichever is higher.

- 7) वाहन का अधिकतर प्रयोग महाराष्ट्र में ही किया जायेगा। वाहन से सम्बंधित कागजात जैसे रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स, बिमा, परिमट, प्रदुषण प्रमाणपत्र, वाहन चालक का लाइसेंस आदि वाहन के साथ उपलब्ध होने चाहिये। वाहन चालक को वाहन के साथ 24 घंटे विद्यालय परिसर में रहना होगा। उसके रहने की व्यवस्था अगर उपलब्ध है तो विद्यालय द्वारा की जाएगी अन्यथा वाहन मालिक द्वारा विद्यालय के पास ही व्यवस्था करनी होगी। The vehicle mostly used in Maharashtra. All documents related to vehicle should be kept in the vehicle. The driver of the vehicle can be provided accommodation in the Vidyalaya wherever possible subject to availability of accommodation, otherwise the arrangements will be made by the owner of the vehicle within approachable distance from the Vidyalaya.
- 8) वाहन चालक का व्यवहार विद्यालय के अधिकारी/कर्मचारिओं के प्रति अनुशासित एवं सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। वाहन चालक द्वारा मदिरापान एवं अन्य मादक पदार्थों का सेवन का निषिद्ध रहेगा। Behavior of driver is to be disciplined and cordial with Officers/staff. Liquor and drugs will be Prohibited by the driver.
- 9) वाहन की किसी भी प्रकारकी टूट-फुट होने पर या दुर्घटना होने पर या चालान होने पर उपयोगकर्ता/ विद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा, नाही किसी प्रकारका मुआवजा विद्यालय द्वारा दिया जायेगा, इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी वाहन मालिक की होगी।

Any types of breakdown or accident or challan of vehicle by the police, the user/Vidyalaya will not be liable, nor any type the compensation will be paid by the Vidyalaya. It will be the entire responsibility of the vehicle owner.

- 10) वाहन के सम्बन्ध में किसी प्रकारकी गैर क़ानूनी बात, अनियमितता या अनुचित आचरण पाए जाने पर विद्यालय द्वारा तुरंत प्रभाव से वाहन हटाया जायेगा । इसके लिए विद्यालय जवाबदार नहीं होगा नाही किसी प्रकारका हर्जाना विद्यालय द्वारा देय होगा।
  - Any Types of illegal activity, improper conduct or any irregularities found by the vehicle, the vehicle will be removed with immediate effect. Such type activities the Vidyalaya is not responsible and no any damages will be paid by the Vidyalaya.
  - 11) वाहन में लगा माईलो मीटर सील किया हुआ होना चाहिए, जो की बिना अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के नहीं खोला जायेगा। वाहन की लाॅगबुक चालक के पास रहेगी। चालक प्रत्येक यात्रा को विद्यालय के सम्बंधित अधिकारी जिन्होंने यात्रा की है से प्रविष्ठी लाॅगबुक में दर्ज करवाकर हस्ताक्षर करवाने होंगे। चालक द्वारा भरी हुई लाॅगबुक मान्य नहीं होगी।

Vehicles must be engaged in Mailo meter seal, which will not be opened without the approval of the Vidyalaya Authority. Lagbook will be maintained by the driver and Principal will certify the same. Driver will be recorded each entry in the logbook by the officer concerned and signed who have traveled in the vehicle. Entry recorded in the Logbook by driver will not be accepted.

- 12) वाहन का अनुबंध 24 घंटे के आधार पर एक वर्ष में 10 माह के लिए होगा (मई एवं जून को छोड़कर)। स्वीकृत दरों में निविदा कालाविध समाप्ति तक किसी भी प्रकार का बदलाव स्वीकार नहीं किया जायेगा । टेंडर निरस्त करने या अनुबंध समाप्त करने का अधिकार विद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

  The vehicle should be hired on 24 hours basis for a maximum period of 10 months in a year excluding
  - The vehicle should be hired on 24 hours basis for a maximum period of 10 months in a year excluding vacation period (May & June) of the Vidyalaya. Any changes in the approved rate will not be accepted during the contract period. The Vidyalaya reserves the right to cancel or terminate the contract tender.
- 13) किराये पर वाहन, व्यावसायिक सेवा के अंतर्गत आते है तथा सदर सेवाओं के लिए आयकर अधिनियम के तहत वर्तमान दर से आयकर की कटौती की जाएगी तथा निविदा दाता के लिए बंधनकारक होगा | Rental vehicles are comes under commercial services and for the said services TDS will be deducted as per the current rate of Income Tax Act which will be binded to the tenderer.
- 14) वाहन मालिक द्वारा दी गई सेवाओं का भुगतान माह के अन्त में बिल प्रस्तुत करने पर साधारणता 10 से 15 दिन के अन्दर किया जायेगा। बिल के साथ प्रमाण के रूप में लाँगबुक प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। बिल का भुगतान सीधे सप्लायर के खाते मे PFMS के माध्यम से जमा किया जायेगा तथा इसमे शासन द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो आपूर्तिकर्ता को मान्य रहेगा। इसके लिये सप्लायर द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक खाता क्रमांक, बैंक का पता, IFS Code विद्यालय को देना होगा। आंतरिक अंकेक्षण के दौरान यदि किसी प्रकारकी वसूली निकाली जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति वाहन मालिक द्वारा की जायेगी।
  - Payment of services rendered by the vehicle owner at the end of the month will be released within 10-15 days after submitting of the bill along with logbook. Payment of bill should be directly deposited to the suppliers account through PFMS, if any changes made by the Government will be accepted by the suppliers. For this purpose the supplier should provide Nationalised Bank Address, Bank Account Number, IFS Code etc. to the Vidyalaya. If any type of recovery raised by the audit in future will be paid by the vehicle owner.
- 15) निविदा दिनांक 30.12.2019 को सुबह 11.00 बजे विद्यालय क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी तथा निविदा प्रक्रिया तकनिकी एवं वित्तीय तौर पर पूरी की जायेगी। निविदा निरस्त करने का पूरा अधिकार विद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र अमरावती रहेगा।

  Tender will be opened on 30.12.2019 at 11.00 am before the Purchase Advisory Committee and tender process will be completed on the technical and financial. The Vidyalaya reserves the right to reject the tender. Jurisdiction for all disputes shall be at Amravati.



## जवाहर नवोदय विद्यालय, नवसारी, ता. जी.-अमरावती (महा.) ४४४६०४ JAWAHAR NAVODOAYA VIDYALAYA, NAVSARI, AMRAVATI (M.S.) 444604.

## निविदा दर पत्रक 2019-20

अ.क्र. S.N.	विवरण Particular	वाहन का नाम एवं क्रमांक Vehicle Name & Number	उत्पादन का माह एवं वर्ष Manufacturin g Month & Year	ड्राइवर सहित प्रतिमाह किराया Rent Per month including Driver	औसतन माइत लीटर Mileage बिना एअर कंडिशनर के Without A/C	
01	चार पहिया डीजल वाहन जिसमे					
	04 व्यक्तियों को बैठने की					
	व्यवस्था के साथ 10 क्विंटल भार					
	ढोने की क्षमता होनी चाहिये (एसी					
	/नॉन एसी )					
	04 Wheler Diesel Vehicle which					
	carring 04 person seating & 10					
	quintal loading capacity vehicle					
	(AC / Non-AC)					
02	चार पहिया डीजल वाहन जिसमे					
	09 व्यक्तियों को बैठने की					
	व्यवस्था (09 सीटर) डीझल वाहन					
	(एसी /नॉन एसी )					
	04 Wheler Diesel Vehicle which					
	carring 09 Person (09 Seater)					
	vehicle (AC / Non-AC)					

अमानत राशी का डिमाड ड्राफ्ट क्र	दिनाक रूपये सलग्न है।
दिनांक :	निविदादाता के हस्ताक्षर :
	पूरा नाम :
	पूरा पता :
	मोबाईल नंबर :